अंतरिम कार्यवाही दिनांक 09.04.2018

राज्य द्वारा एजीपी उपस्थित।

आरोपी की ओर से उसके पत्नी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि जमा करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण आज पेशी में लिया गया। अर्थदण्ड की राशि 2000 / — रुपए रशीद कमांक 16 पर जमा कर उसे रशीद दी गयी।

प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है। अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण का सार अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

> (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड